



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

परिविष्ट (घ)

छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 नियम 27

(डायरेक्ट भवन अनुज्ञा)

प्रति,

श्री / श्रीमति : 1).-VIVEK SHAKYA S/O SHRI ASHARAM SHAKYA,(2)SMT.-KHEMWATI SHAKYA W/O SHRI ASHARAM SHAKYA,

वर्तमान पता : AT.-AWADHPURI,RISALI,TEHSIL-DISTT.-DURG(C.G.)

प्रपोजल क्रमांक	: 4227
प्रोजेक्ट कोड	: KPSA-BMC-2019-0253
आवेदन दिनांक	: 23/09/2019
अनुज्ञा क्रमांक	: 10909
अनुज्ञा दिनांक	: 03/10/2019
अनुज्ञा अवधि	: 03/10/2020

विषय :- भवन अनुज्ञा

(छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 एवं नगर पालिक अधिनियम 1956 के अंतर्गत)

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में सूचित किया जाता है की भूमि / भवन के विकास निर्माण हेतु प्राधिकारी द्वारा संदर्भित नियम अनुसार निर्बन्धनो तथा शर्तों के अधीन रहते हुए नगर पालिक निगम, द्वारा स्वीकृति दी गई है।

क	आवेदक / लायसेंसधारी का विवरण								
01	आवेदक का नाम		1).-VIVEK SHAKYA S/O SHRI ASHARAM SHAKYA,(2)SMT.-KHEMWATI SHAKYA W/O SHRI ASHARAM SHAKYA,						
02	अनुज्ञासिधारी का नाम		Kameshwar Sahu		लाइसेंस क्रमांक	209(E)			
ख	निर्माण स्थल विवरण								
01	वार्ड क्रमांक	61	प्लॉट क्रमांक		19				
02	खसरा क्रमांक		623/23		पटवारी हल्का क्रमांक		19/22		
03	प्रयोजन	आवासीय	पता	AT.-AWADHPURI,RISALI,TEHSIL-DISTT.-DURG(C.G.)					
ग	अनुज्ञा का विवरण								
01	भू-खण्ड का क्षेत्रफल (SQM में)		167.28						
02	तल विवरण								
	तलघर/स्टिल्स पार्किंग (हा/नहीं)		No	उपयोग	पार्किंग				
	भूतल क्षेत्रफल		80.3		आवासीय				
	प्रथम क्षेत्रफल		76.87		आवासीय				
	कुल क्षेत्रफल		157.17						
03	प्रस्तावित एफ.ए.आर. -		1.5	ऊँचाई (मीटर मे) -		7.3	प्रस्तावित अनुसार सड़क की चौड़ाई	9 Meter	
04	सेटबैक - सामने		3.05	पीछे	1.5	साईड-ए	1.69	साईड - बी	0
05	1.भूखंड रेखा सड़क के मध्य सामने से प्रस्ताव की दूरी 3.5 मी. छोड़कर होगी।								
घ	शुल्क का विवरण:-		रसीद क्र.-		8368	दिनांक-		02/10/2019	
	आवेदन शुल्क		104063						

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्य निर्बन्धनो तथा संलग्न मानचित्र अनुसार शर्तों के अधीन रहते हुए उपरोक्तानुसार स्वीकृति दी है जिसका विवरण अनुज्ञा के पृष्ठ भाग पर मुद्रित है।

: निर्माण कार्य की विशिष्टीया :

1. आवेदन के साथ प्रस्तुत मानचित्र पर. मानचित्र के पृष्ठ पर एवं इस ज्ञापन में अंकित शर्तों के अनुसार यह अनुज्ञा जारी की गई है।
2. यह भवन अनुज्ञा निम्नलिखित निबंधन तथा शर्तों के अधीन मंजूर की जाती है।
 - (a) यह निर्माण अनुज्ञा दिनांक 03/10/2021 तक प्रभावशील रहेगी।
 - (b) यदि आवश्यकता हो तो उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 03/10/2021 के पूर्व प्रस्तुत करें।
 - (c) समयावधि के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर अनुज्ञा व्यपगत मानी जायेगी।
3. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्लॉथ लेवल पर, लेंटर लेवल पर निगम को सूचना दे।
4. निर्माण कार्य का निम्न चरणों पर निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।
 - (a) प्लिथ लेवल पर (b) लैंटल लेवल पर (c) प्रत्येक तल के पूर्ण होने पर
5. स्वयं के भूखंड के बाहर छज्जा एवं बालकनी प्रोजेक्शन न निकाले।
 6. पानी निकास व्यवस्था म्युनिसिपल नाली तक स्वयं के व्यय से करना होगा।
7. अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने, किसी असत्य जानकारी पाये जाने भूमि स्वामित्व विवाद की स्थिति में यह अनुज्ञा स्थगित की जा सकेगी. जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. छ.ग. भूमि विकास निगम 1994 के नियम 64 के अनुसार 100 वर्गमीटर के क्षेत्र पर 01 वृक्ष की दर वृक्षारोपण किया जायेगा।
9. निर्माण स्थल पर निर्णामाधीन भवन बाबत स्वीकृत मानचित्र, अनुज्ञा की प्रति एवं अन्य विवरण रखना अनिवार्य है।
10. सीवर लाईन होने की स्थिति में इससे कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
11. रेनहार्वैस्टिंग की व्यवस्था छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 के अनुसार सुनिश्चित करना होगा। अपालन की स्थिति में सुरक्षा निधि निगर निगम में समाहित की जावेगी।
12. प्रस्तावित सड़क चौड़ाई में आने वाले भाग को यातायात हेतु सड़क के लेवल पर रखे इसमें कोई चबूतरा निर्माण न करें।
13. सेप्टिकटैंक का निर्माण IS:2470 Part I&II अनुसार किया जाना होगा। जिसका निर्माण के दौरान समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा। इस IS:2470 के अनुसार निर्माण नहीं किये जाने पर भवन पूर्णतः सह अधिभोग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
14. भवन स्वामी द्वारा अनुज्ञा धारी पर्यवेक्षक / इंजिनियर / वास्तुविद को भवन निर्माण के दौरान हटा दिये जाने पर यह अनुज्ञा स्वमेव छ.ग.भूमि विकास नियम 1984 के नियम 28(1) के अनुसार स्वमेव निलंबित हो जावेगी।
15. निर्माण कार्यों के दौरान निर्णामाधीन क्षेत्र के चारों ओर अस्थायी घेरे का निर्माण, मटेरियल लोडिंग-अनलोडिंग एवं पुराने भवनों को तोड़ने दौरान उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण, निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न मलबे का सुव्यवस्थित अपवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे सड़क एवं नाली ये बाधा डालना प्रतिबंधित होगा।
16. भवन निर्माण से पूर्व निर्माण स्थल पर श्रमिकों के लिए न्यूनतम सुविधाएं जैसे:- पीने का पानी, आश्रय, शौचालय आदि का प्रबंध करने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ करें।
17. इस भवन अनुज्ञा के परिपेक्ष्य में भवन अनुज्ञा शुल्क, विकास शुल्क, रेनवाटर हार्वैस्टिंग सुरक्षा निधि ए श्रमिक उपकर तथा अन्य प्रभावी शुल्क जमा करने हेतु ऑनलाइन पद्धति से जारी सूचना तिथि से 30 दिवस के भीतर आवेदक के द्वारा शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि में शुल्क जमा नहीं किये जाने पर अनुज्ञा स्वमेव निरस्त होगी। उपरोक्त शुल्क की रसीद अनुज्ञा का अभिन्न भाग है।
18. भूमि स्वामित्व हक के दस्तावेज के साक्ष्य के रूप में इस दस्तावेज का उपयोग नहीं किया जायेगा।
19. भवन पूर्णतः सह अधियोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है इसके अभाव में भवन का उपयोग किया जाना वर्जित है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.क. / सांत/ 2 / भ.अ.

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेज।
2. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. संबंधित उपयंत्री जोन क्रमांक 10 नगर निवेश विभाग नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, भिलाई

नियम और शर्तें:-

यह एक आवासीय प्रस्ताव है।

1. Its computer generated copy, so need not to get signed.
2. Approved map and receipt of all the fees paid will be integral part of this document.
3. For verification of this certificate, Please visit www.niwaspass.com